न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 66/2023 G.C.M.S. No. 2023/315 दर्ज दिनांक : 26.12.2023

अपीलार्थिगण:

1. चणनाराम पुत्र विरदारामजी, जाति कुमावत, निवासी नवोड़ा बेरा रायपुर रोड़, कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
2. पारसमल पुत्र दुर्गारामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
3. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गारामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
4. मोहनलाल पुत्र मिश्रीलालजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
5. मिश्रीलाल पुत्र नवलारामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
6. महेन्द्र पुत्र मिश्रीलालजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
7. फुलकी पत्नि मिश्रीलालजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
8. मीरा पत्नि गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
9. कन्हैयालाल पुत्र गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
10. सोहनलाल पुत्र गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
11. भेराराम पुत्र गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
12. सीता पुत्री गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
13. कमली पुत्री गेपररामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
14. रतनलाल पुत्र बींजाराम, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. डावरराम पुत्र जालूरामजी, जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
2. गलकी देवी पत्नि भोलारामजी फौत के विधिक वारिसान:–
   अ. राजूराम पुत्र भोलाराम
   ब. सोहनलाल पुत्र भोलाराम
   स. छलाराम पुत्र भोलाराम जाति कुमावत, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. सुगनाई पत्नि सताराम फौत के विधिक वारिसानः—
   अ. रतनाराम पुत्र सताराम, जाति कुमार
   ब. ओमाराम पुत्र सताराम, जाति कुमार
4. विनोद पुत्र हिमताराम
5. निर्मल पुत्र स्व. हिम्मताराम
6. सारी पत्नी स्व. हिम्मताराम
7. भंवराई पत्नि सरदार
8. बाबुलाल पुत्र सरदार
9. राजूराम पुत्र भोलाराम
10. सोहनलाल पुत्र भोलाराम
11. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
12. पांचु पुत्री मंगलाराम
13. कमला पुत्री मंगलाराम
14. सीता पुत्री मंगलाराम
15. तीजी पुत्री मंगलाराम
16. सुखी पुत्री मंगलाराम
17. कंचन पुत्री मंगलाराम
18. पतासी पत्नि मंगलाराम फौत के कायम मुकामः—
   अ. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
19. दुर्गाराम पुत्र घीसाराम फौत के का.मु.
   अ. अणदाई पत्नि दुर्गाराम, उम्र वयस्क
   ब. मोती पुत्र दुर्गाराम, उम्र वयस्क
   स. केसाराम पुत्र दुर्गाराम, उम्र वयस्क
20. बींजा पुत्र रावत
21. दीपाराम पुत्र सुजाराम
22. सायरी पत्नि उम्मेदराम फौत के विधिक वारिसानः—
   अ. मांगीलाल पुत्र उम्मेदराम
   ब. चेनाराम पुत्र उम्मेदराम
23. कमली पत्नि दीपाराम फौत के विधिक वारिसानः—
   23/1 नाथूराम पुत्र दीपाराम
   23/2 अणदाराम पुत्र दीपाराम
   23/3 नौरत पुत्र दीपाराम
   23/4 भूराराम पुत्र दीपाराम
   23/5 रेखा पुत्री दीपाराम
   23/6 मोहनी पुत्री दीपाराम
   23/7 सुनीता पुत्री दीपाराम
24. तिलोकराम पुत्र सादुलराम फौत के विधिक वारिसानः—
   24/1 मोहनलाल पुत्र तिलोकराम
   24/2 बगदाराम पुत्र तिलोकराम
   24/3 तुलसाराम पुत्र तिलोकराम
   24/4 मीठाराम पुत्र तिलोकराम
   24/5 कमली पुत्री तिलोकराम
   24/6 गीता पुत्री तिलोकराम
25. जोगाराम पुत्र बींजाराम फौत के कायम मुकामः—

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

25/1 राजूराम पुत्र जोगाराम
25/2 प्रकाश पुत्र जोगाराम
25/3 चेतन पुत्र जोगाराम
26. भंवरलाल पुत्र बालूराम
27. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम
28. छैलाराम पुत्र बालूराम
29. महेन्द्र गोद पुत्र जीताराम, नाबालिग कुदरती वली पिता जवरीलाल पुत्र पुखराज
30. तहसीलदार रायपुर, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2018 (पुराना) एवं 03ए/2021 (नवीन) बअनवान डावरराम बनाम गलकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2019 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार –

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 11.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/2018 (पुराना) एवं 03ए/2021 (नवीन) बअनवान डावरराम बनाम गलकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की पालना ही नहीं की है और न ही निर्णय में ऐसा कही उल्लेख किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जिस जगह बेचाण में खरीद की है, उस जगह बंटवाड़ा की डिक्री नहीं देकर अलग जगह बंटवाड़ा प्रकट किया है। अधिनस्थ तहसीलदार ने न तो कोई नक्शा बनाया है, न ही अलग–अलग भूखण्ड उल्लेखित किये है। बल्कि केवल रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को फायदा देने की मंशा से उसका हिस्सा अलग दो टुकड़ों में प्रकट कर दिया है, जबकि मूल खातेदार दीपाराम था और दीपाराम से नाथूराम ने खरीद की और नाथूराम ने डावरराम को बेचाण की, ऐसी सूरत में डावरराम एक अजनबी क्रेता था और वैसे भी बेचाणनामा में पेज संख्या 4 के क्रम संख्या 16 में अलग से स्पष्ट पड़ौस खोल रखे थें, वही जमीन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

हासिल करने का रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 हक रखता था, फिर भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने भूमिधारी से मिलकर अपने पक्ष में प्राथमिक डिक्री में मौके की जमीन देखकर अपने पक्ष में तरमीम करवा दी और हिस्सा एक जगह ही एक ही स्थान की खरीदी हुई थीं और दो टुकड़ें अलग–अलग प्रकट कर दिये जो भी कानून की मंशा के विपरीत हैं। प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके पर किसी सह खातेदार को तलब नही किया और न ही उनको जहां रेस्पोडेण्ट काबिज थे, वो हिस्सा ही अलग से दर्शाया है। अपीलाण्ट निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को तब हुई जब डावरराम के अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत का दिनांक 20.12.2023 का लिखा हुआ केवियट डाक के जरिये रेस्पोडेण्ट मोहनलाल को दिया और मोहनलाल ने अपीलाण्ट को यह केवियट व नोटिस बताया, तब अपीलाण्ट तुरन्त प्रभाव से रायपुर गया और वहां की पत्रावली का अवलोकन करने पर न केवल निर्णय दिनांक 13.06.2019 की जानकारी हुई बल्कि मुकदमें का अंतिम फैसला दिनांक 16.10.2023 के बारे में भी जानकारी हुई, तब दोनों निर्णय की नकले आवेदन संख्या 530 तारीख 21.12.2023 आवेदन पेश कर नकलें हासिल की और तुरन्त प्रभाव से अधिवक्ता से पाली आकर सम्पर्क किया और इस तरह अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ें व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2019 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.12.2023 को पेश की गई। जो लगभग 52 माह अर्थात लगभग 1560 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी वादी रेस्पोंडेंट डावरराम के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.12.2023 अंकित कैवियट नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त होने पर नकल आवेदन कर दिनांक 21.12.2023 को नकल प्राप्त करने पर हुई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रकरण में अपीलांट्स की विधिवत तामील होकर कुछ अपीलांट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं तथा अपीलांट चनणाराम व अन्य अपीलांट की ओर से प्रकरण में जवाबदावा व काउण्टर वादपत्र प्रस्तुत किया गया एवं नियमित रूप से पैरवी की जाती रही। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता की उपस्थिति भी अंकित है। तत्पश्चात प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर डिक्री अपास्त कर प्रकरण पुनः विचारण के लिए रखा गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित प्रकरण की आरंभ से ही बखूबी जानकारी थीं। अतः अपीलांट्स का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 कैवियटकर्ता अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस से हुई, पूर्णतया मनगढ़ंत, आधारहीन व काल्पनिक कथन है। हस्तगत प्रकरण में लगभग 1560 दिवस का दीर्घ विलंब वस्तुतः अपीलांट्स की लापरवाही के कारण हुआ है। अपीलांट्स द्वारा पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई। अतः अपीलांट्स द्वारा विलंब के लिए प्रस्तुत कारण समुचित, सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार्य नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित लगभग 1560 दिवस के दीर्घ विलंब को माफ किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने तथा विलंबकाल माफी योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम 1963 में विहित परिसीमा अवधि 60 दिवस से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली